

प्रेस नोट दिनांक 08-08-2019

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त को आयशर कैंटर गाडी से 240 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का परिवहन करते समय किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी नकुड श्री यतेन्द्र सिंह नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08-08-2019 को समय 03.10 बजे थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर गाडी चढाकर जान से मारने की कौशिश करते समय जंगल ग्राम अलीपुरा से अभियुक्त 1-लियाकत पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मुजाफत कला थाना खिजराबाद जनपद यमुनानगर हरियाणा को आयशर कैंटर गाडी फर्जी नम्बर प्लेट नं0-एचआर 45ए 1807 आगे तथा पीछे की तरफ एचआर 47ए 2809 से 240 पेटी (2880 बोतल) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का परिवहन करते समय गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके 03 अन्य साथी अन्धेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी व बरामदी के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 259/2019 धारा 60/63/72/आबकारी अधिनियम व धारा 307/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-लियाकत पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मुजाफत कला थाना खिजराबाद जनपद यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

1- आयशर कैंटर गाडी फर्जी नम्बर प्लेट नं0-एचआर 45ए 1807 आगे तथा पीछे की तरफ एचआर 47ए 2809

2- 240 पेटी (2880 बोतल) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथी 1-मोनू उर्फ अमरीश पुत्र ओमसिंह 2-सन्नी पुत्र ओमसिंह 3-ओमसिंह पुत्र मामचन्द निवासीगण ग्राम अलीपुरा सरसावा, सहारनपुर के साथ मिलकर हरियाणा राज्य से सस्ती शराब खरीदकर यहां आसपास के गांव में बेचते हैं तथा उपरोक्त गाडी पर फर्जी नम्बर प्लेट हम लोग पुलिस को धोखा देने की नियत से लगा कर रखते हैं जिससे हम लोग पकड़े न जा सकें। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का शराब तस्कर है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-श्री प्रमोद कुमार थानाध्यक्ष सरसावा, सहारनपुर।

2-व0उ0नि0 श्री बिजेन्द्र पाल शर्मा थाना सरसावा, सहारनपुर।

3-उ0नि0 श्री राजकुमार यादव थाना सरसावा, सहारनपुर।

4-का0 1010 अरुण कुमार थाना सरसावा, सहारनपुर।

5-का0 323 विवेक कुमार थाना सरसावा, सहारनपुर।

प्रेस नोट

दिनांक 07/08/19 को वादी शफीक पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मौ0 पठानपुरा निकट पुरानी जामा मस्जिद कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर मय हमराह महताब पुत्र सगीर अहमद नि0 मौ0 सरायपीर जानगान कस्बा व थाना देवबंद जिला सहारनपुर मय गिरफ्तार शुदा 01 अभियुक्त माखन तोरी पुत्र मरफीलाल नि0 झुग्गी झोपडी जिला मुजफ्फरनगर स्थायी पता ग्राम रावद थाना बेटमा जिला इंदौर मध्यप्रदेश को लाकर थाना हाजा पर दाखिल किया तथा अभियुक्त के कब्जे से 40 हजार रुपये बरामद हुए, जिसके सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 624/19 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

- 1- माखन तोरी पुत्र मरफीलाल नि0 झुग्गी झोपडी जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र स्थायी पता ग्राम रावद थाना बेटमा जिला इंदौर मध्यप्रदेश

अभियुक्त से बरामदगी –

1. 40 हजार रुपये (75 नोट 500 रुपये , 3 नोट 200 रुपये के, 10 नोट 100 रुपये, 10 नोट 50 रुपये के , 20 नोट 20 रुपये के)

प्रेस नोट दिनांक 08-08-2019

थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अम्बेडकर स्टेडियम के पास यश पुण्डीर को गोली मारने वाले 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त सफारी गाड़ी व 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 06-08-2019 को समय 11.00 बजे अम्बेडकर स्टेडियम के अन्दर पार्किंग में श्री यश पुण्डीर पुत्र देवानन्द निवासी म0नं0 144 शिव मन्दिर के पास पंत बिहार कालोनी, हसनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर उम्र करीब 25 वर्ष को सफारी गाड़ी में सवार 04-05 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी थी तथा घायल यश पुण्डीर से पूछताछ करने पर डेरी भलसवा थाना नागल, सहारनपुर के रहने वाले मोहित राणा पुत्र भोपाल सिंह नाम के व्यक्ति की पहचान कराई गई थी। घटित घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 577/2019 धारा 147/148/149/34 भादवि व 07 दण्ड विधि संशोधन अधि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना सदर बाजार पुलिस को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 08-08-2019 को अपर पुलिस अधीक्षक, नगर श्री विनित भटनागर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय श्री मुकेश चन्द मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान घण्टाघर हनुमान मन्दिर के पास से उक्त घटना में शामिल 02 अभियुक्त 1-मोहित राणा पुत्र भोपाल निवासी भलस्वा थाना नागल, सहारनपुर 2-सोहन उर्फ सन्नी पुत्र राकेश प्रधान निवासी भलस्वा थाना नागल, सहारनपुर को घटना में प्रयुक्त सफारी गाड़ी नं0 यूके 17 सी-9757 व 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित समय 08.10 बजे प्रातः गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 582/2019 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-मोहित राणा पुत्र भोपाल निवासी भलस्वा थाना नागल, सहारनपुर।
- 2-सोहन उर्फ सन्नी पुत्र राकेश प्रधान निवासी भलस्वा थाना नागल, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-घटना में प्रयुक्त सफारी गाड़ी नं0 यूके 17 सी-9757।
- 2-घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

अभि0 मोहित राणा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 04/17 धारा 323/504/506/307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना नागल, सहारनपुर।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने उक्त घटना को अपने अन्य साथी 1-शेखर पुत्र बोबी 2-अभय उर्फ इलू पुत्र भोला 3-कुलदीप पुत्र श्रीपाल 4-दुष्यन्त पुत्र महिपाल 5-अंकुर पुत्र किरणपाल निवासीगण भलस्वा थाना नागल, सहारनपुर के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया है। अभियुक्त व अन्य साथियों ने वाट्सअप पर एक राजपूत समुदाय का ग्रुप बना रखा है, जिस पर चैटिंग के दौरान मजरुब यश पुण्डीर व अभियुक्त मोहित राणा के बीच बहस हुई थी। जिसके बाद अभियुक्त मोहित राणा उपरोक्त अपने 06 साथियों के साथ सफारी गाड़ी में यश पुण्डीर के बारे में जानकारी कर स्टेडियम पहुँचा और घटना को अंजाम दिया। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-उ0नि0 श्री असगर अली थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री लोकेन्द्र राणा थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- 3-है0का0 राजवीर थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- 4-है0का0 शाहनवाज थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- 5-का0 1258 सुमित कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- 6-का0 235 दीपक कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।